उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस पिटीशन नं0-24/2019-20

शांति प्रसाद चौधरी

बनाम्

कमला कांत चौधरी वगै0

—: आदेश :—

दिनांक	
16/03/20	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता शांति प्रसाद चौधरी, पिता—अक्षय कुमार चौधरी, सा0—मोतिया, थाना—गोड्डा(मु0), जिला—गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के मिस केश नं0—22/2019—20 आदेश दिनांक—19.06.2019 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा ने मिस केश नं0—22/2019—20 के आदेश दिनांक—19.06.2019 के द्वारा मौजा—कारीकादो के जमाबंदी सं0—26 के दाग नं0—154 के अन्तर्गत अधिग्रहित जमीन का दखलकार रैयत गेनालाल चौधरी वो मुनीलाल चौधरी के वंशज उमाकांत चौधरी, पे0—गैनालाल चौधरी वो कमलाकांत चौधरी, पे0—मुनीलाल चौधरी को हितबद्ध बनाते हुए अवार्ड तैयार करने के लिए आदेश दिया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा—कारीकादो नं0—307 के अन्तर्गत की जमीन का अडाणी पावर लिमिटेड के लिए अधिग्रहण किया गया। जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा अडाणी पावर लिमिटेड, गोड्डा के लिए मौजा—कारीकादो के अधिग्रहित जमीन के लाभार्थियों का नाम का प्रकाशन किया गया। उसमें अपीलकर्त्ता के नाम का प्रकाशन नहीं किया गया, सिर्फ अन्य हिस्सेदार के नाम का प्रकाशन किया गया। इसके लिए अपीलकर्त्ता के द्वारा आपत्ति किया गया एवं अपने हिस्से का दावा किया। उनका आगे कथन है कि काशिनाथ चौधरी एवं उनके पुत्र के द्वारा अपने जीवन काल में कठिन परिश्रम करके कुछ जमीन अर्जित किया है। काशिनाथ चौधरी अपने पिछे आठ पुत्र क्रमशः वाजीतलाल चौधरी, उचितलाल चौधरी, महाराज चौधरी, जोगनाथ चौधरी, राजनाथ चौधरी, धीरनाथ चौधरी, मोहर चौधरी एवं केदार चौधरी को छोड़कर फौत कर गये। इनमें से केदार चौधरी की मृत्यु नावल्द हो गयी है एवं जोगनाथ चौधरी को

एक पुत्री बोंगिया देवी हुई। बोंगिया देवी की भी मृत्यु नावल्द हो गयी। केदारनाथ चौधरी एवं जोगनाथ चौधरी की संपुर्ण जमीन अन्य हिस्सेदार को प्राप्त हुआ। अपीलकर्त्ता उचितलाल चौधरी के वंशज हैं। उचितलाल चौधरी को संपुर्ण जमीन में से 1/6 हिस्से प्राप्त है। काशिनाथ चौधरी को 11 मौजा में जमीन है। जिसमें से मौजा–मोतिया के जमाबंदी नं0–117, 136 एवं 137 की जमीन है तथा मौजा–पटवा के जमाबंदी नं0–04 एवं जमाबंदी नं0–21 है, जो उचितलाल चौधरी एवं अन्य के नाम से दर्ज है। उस जमीन का अपीलकर्त्ता अपने हिस्से के अनुसार जोत आबाद कर रहे हैं। उसी प्रकार मौजा–कारीकादो नं0–307 जमाबंदी नं0–26 में भी अपीलकर्त्ता को बराबर हिस्सा है। अपीलकर्त्ता के द्वारा बटवारा के लिए बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में टाईटल पार्टीशन सूट नं0–9/2017 दायर किया है, जो परीक्षण के लिए सबजज, गोड्डा के न्यायालय में हस्तांतरित किया गया है और जो वर्तमान में टाईटल पार्टीशन सूट नं0–23/2017 पंजीकृत है एवं सबजज–III, गोड्डा के न्यायालय में विचाराधिन है, जिसमें कारिकादो के जमाबंदी नं0–26 की जमीन सनिहित है। इस प्रकार उक्त जमीन का बँटवारा आपस में नहीं हुआ है एवं किसी अन्य हिस्सेदारों के नाम से जमीन का नामांतरण भी नहीं हुआ है। सम्पूर्ण जमीन का मालगुजारी भी संयुक्त रूप से किया जाता है। उनका आगे कथन है कि टाईटल पार्टीशन सूट नं0–23/2017 में शांति झा एवं अन्य राजेश कुमार झा, मिक्कू झा, विमल झा जो वाजितलाल झा के वंशज के द्वारा भी अपीलकर्त्ता के दावा को स्वीकार किया गया है। इसलिए मौजा–कारीकादो के अन्तर्गत अधिग्रहित जमीन का मुआवजा अपीलकर्त्ता को भी मिलना चाहिए। इस प्रकार निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियमानुकूल नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को खारिज करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता के द्वारा काल अवधि को क्षान्त करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा–5 के तहत आवेदन दिया है। अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में उत्तरवादी को नोटिश दिया गया।

उत्तरवादी प्रथम पक्ष के सं0–01, 02 एवं उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के सं0–06, 07, 09, 10, 11, 12 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–कारीकादो नं0–307 के जमाबंदी सं0–26 दाग नं0–154 के अन्तर्गत रकवा 0.285 एकड़ जमीन 2 x 800 मेगावाट थर्मल पावर के लिए रेलवे

लाईन साइडिंग के निर्माण के लिए सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया गया है, जिसमें अपीलकर्त्ता एवं अन्य जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष उपरोक्त भूमि अधिग्रहण के खिलाफ मुआवजा प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के रूप में अपना नाम दर्ज करने के लिए आपत्ति आवेदन दिया है। उनका आगे कथन है कि मौजा–कारीकादो नं0–307 के जमाबंदी सं0–26 की गत सर्वे सेटलमेंट में बाजीतलाल चौधरी वो जोरानाथ चौधरी, पे0–काशीनाथ चौधरी वो नेवालाल चौधरी वो चक्रधर चौधरी, पे0–महाराज चौधरी वो गेनालाल चौधरी वो मुनीलाल चौधरी, पे0–धीरनाथ चौधरी वो धीत नंदन चौधरी वो बैकुण्ठ चौधरी, पे0–राजनाथ चौधरी वो मो0 हासो, पति–मोहन चौधरी वो शाबो चौधराईन, पति–केदारनाथ चौधरी के नाम से दर्ज है। लेकिन जमाबंदी रैयत का अलग–अलग दखल था। इसलिए गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में कब्जा के अनुसार दखल कॉलम में दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–154 रकवा 01–19–19 धुर जमीन दखल कॉलम में गेनालाल चौधरी वो मुनीलाल चौधरी के नाम से दर्ज है। गत जमाबंदी रैयत गेनालाल चौधरी वो मुनीलाल चौधरी का वंशावली निम्न प्रकार दर्शाया गया है :–

धीरनाथ चौधरी

गेनालाल चौधरी(ज0रै0) — मुनीलाल चौधरी

उमाकांत चौधरी (मृत) — कमलाकांत चौधरी

उमा देवी(पत्नी)

उनका आगे कथन है कि अपने पूर्वज के समय से ही उत्तरवादी प्रथम पक्ष सं0–01 एवं 02 उक्त जमीन पर दखलकार हैं एवं मालगुजारी रसीद कटाते हैं। इसलिए अधिग्रहित जमीन पर उनका हक एवं अधिकार है। वर्तमान तसदीक सर्वे में उक्त जमीन को दर्ज किया है। अपीलकर्त्ता एवं अन्य का उक्त जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। अपीलकर्त्ता उचितलाल चौधरी के वंशज के आधार पर दावा कर रहा है। लेकिन न तो उचितलाल चौधरी और न ही उचितलाल चौधरी के किसी वंशज के नाम से उक्त जमीन दर्ज है। वंशावली से भी स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन पर कोई दावा नहीं बनता है। उनका आगे कथन है कि उचितलाल चौधरी, सुन्दरलाल चौधरी ने अपने नाम दर्ज करने के लिए सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, संथाल परगना के न्यायालय में आपत्ति वाद सं0–710/1925 एवं 711/1925 दायर किया था। लेकिन

सहायक बंदोवस्त, संथाल परगना ने आदेश दिनांक–28.07.1925 के द्वारा सुन्दरलाल चौधरी के आपत्ति आवेदन को खारिज कर दिया था। सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध सुन्दरलाल चौधरी की ओर से सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी के विरूद्ध बंदोवस्त पदाधिकारी के न्यायालय में अपील वाद सं0–483/1925 दायर किया था, जिसमें सुन्दरलाल चौधरी के अपील वाद को खारिज किया गया था। उक्त अपील वाद में पारित आदेश के विरूद्ध कोई अपील या रिविजन वाद दायर नहीं किया गया है। इसलिए उक्त अपील वाद में पारित आदेश अंतिम निर्णय है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता के दावा को उपायुक्त, गोड्डा के आर0एम0ए0 नं0–97/11–12 में पारित आदेश के द्वारा पूर्व में ही खारिज कर दिया गया है। वर्तमान अपील वाद में Resjudicatta के नियम से भी प्रभावित है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–269/भू0अ0 दिनांक–11.06.2020 से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–कारीकादो थाना नं0–307 जमाबंदी सं0–26 दाग नं0–154 रकवा 0.285 एकड़ का अधिग्रहण किया गया है एवं दिनांक–18.07.2019 को एवार्ड उमाकांत चौधरी, पिता–गेनालाल चौधरी एवं कमलाकांत चौधरी, पिता–मुनीलाल चौधरी के नाम से उपायुक्त, गोड्डा के द्वारा घोषित किया गया है। एवार्डी कमलाकांत चौधरी को एवार्ड की राशि का भुगतान किया जा चुका है एवं एवार्डी उमाकांत चौधरी की मृत्यु हो जाने के कारण उनके वैध उत्तराधिकारी से संबंधित मामला विचाराधीन है। मौजा–कारीकादो थाना नं0–307 जमाबंदी सं0–26 में गेंजर खतियान में जमाबंदी रैयत वाजीतलाल चौधरी वो जोगनाथ चौधरी, पे0–काशीनाथ चौधरी वो नेवालाल चौधरी वो चकरधर चौधरी, पे0–महराज चौधरी, गेनालाल चौधरी वो मुनीलाल चौधरी, पे0–धीरनाथ चौधरी वो घृतनंदन चौधरी वो बैकुण्ठ चौधरी, पे0–राजनाथ चौधरी वो मो0 हासो चौधराईन जौजे माहन चौधरी वो शावो चौधराईन जौजे केदारनाथ चौधरी के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी में कुल रकवा 04–08–07 धुर जमीन है, जिसमें से केवल दाग नं0–154 का अर्जन किया गया है। गेंजर खतियान के दाग नं0–154 के कैफियत कॉलम में जमाबंदी दखलकार रैयत गेनालाल चौधरी वो मुनीलाल चौधरी का नाम

अंकित है। अर्जनाधीन भूमि पर खतियानी दखलकार रैयत का स्वत्व स्थापित है। घोषित एवार्डी उमाकांत चौधरी, पिता–गेनालाल चौधरी एवं कमलाकांत चौधरी, पिता–मुनीलाल चौधरी खतियानी दखलकार रैयत के वारिसान है। शांति प्रसाद चौधरी, पिता–अक्षय कुमार चौधरी, सा0–गोतिया के द्वारा पूर्व में भू–अर्जन वाद की सुनवाई के क्रम में धारा 21 के तहत आपत्ति दी गई थी, जिसकी सुनवाई विहित प्रक्रिया के तहत विविध वाद सं0–22/2019–20 खोलकर किया गया एवं आदेश पारित किया गया था। शांति प्रसाद चौधरी का कहना है कि खतियानी रैयतों वाजितलाल चौधरी वगैरह के भाई उचितलाल चौधरी के वंशज है। अतः उन्हें भी इस भूमि में मुआवजा मिलना चाहिए जबकि उनके पूर्वज उचितलाल चौधरी उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत नहीं है ना ही वे अर्जनाधीन दाग नं0–154 के दखलकार खतियानी रैयत के वंश क्रम से उनका कोई संबंध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनिमय 2013 की धारा 3 की उपधारा (r) "land owner" की परिभाषा दी गई है। (r)(i) whose name is recorded as the owner of the land or building or part thereof, in records of the authority concerned. अपीलकर्त्ता का दावा पूर्व में खारिज किया गया है, खतियानी रैयत के किसी अन्य वारिसानों के द्वारा घोषित एवार्ड के विरूद्ध कोई भी आपत्ति नहीं की गई है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के वहस सुनने एवं अभिलेखवद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–कारीकादो नं0–307 जमाबंदी सं0–26 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में वाजीतलाल चौधरी वो जोगनाथ चौधरी, पे0–काशीनाथ चौधरी वो नेनालाल चौधरी वो चकरधर चौधरी, पे0–महराज चौधरी वो गेनालाल चौधरी वो मुनीलाल चौधरी, पे0–धीरनाथ चौधरी वो धीरहनाथ चौधरी वो वैकुंठ चौधरी, पे0–राजनाथ चौधरी वो मो0 हाशो चोधराईन जौजे मोहर चौधरी वो मो0 शावो चौधराईन जौजे केदारनाथ चौधरी जात मैथील ब्राम्हन शा0 मोतीआ के नाम से दर्ज है। उक्त दाग नं0–154 की जमीन का अर्जन किया गया है। गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा के अनुसार दाग नं0–154 के कैफियत कॉलम में दखलकार रैयत गेनालाल चौधरी वो मुनीलाल चौधरी का नाम दर्ज है। अपीलकर्त्ता दखलकार रैयत गेनालाल चौधरी वो मुनीलाल चौधरी के वंशक्रम के अन्तर्गत अपने को स्थापित करने में सफल नहीं हुए हैं। इसप्रकार अपीलकर्त्ता का दखलकार रैयत गेनालाल चौधरी वो मुनीलाल चौधरी के वंश क्रम से कोई

संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के मिस केश नं0–22/2019–20 आदेश दिनांक–19.06.2019 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। अभिलेख जिला अभिलेखागार, गोड्डा में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

16/3/22
उपायुक्त,
गोड्डा।

16/3/22
उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.22 14:45:49 +05:30
Location: 192.168.29.8